राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 23, 2016

सं. एफ. 12(37)एफडी/टैक्स/2015–34 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(37)एफडी/टैक्स/2015–34 दिनांक 23.08.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"सं. एफ. 12(37) एफ.डी./टैक्स/2015–34 जयपुर, दिनांक : 23 अगस्त, 2016

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 96/2016 दिनांक 09.08.2016 के अनुपालन में राज्य सरकार, मैसर्स श्रीवल्लभ पित्ती समूह के कस्टमाइज्ड पैकेज के सम्बन्ध में इस विभाग के समय–समय पर यथा संशोधित आदेश सं. एफ.12(37)एफ.डी./टैक्स/2015–45 दिनांक 23.06.2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त आदेश में,–

(i) खण्ड 1 के उप–खण्ड (ii) में,–

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "एकीकृत टेक्सटाइल मिल स्थापित करेगा/करेंगे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार स्वतंत्र टेक्सटाइल मिलें स्थापित करेगा/करेंगे" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"

क्र. सं.	उद्यम का नाम	विनिधान की न्यूनतम रकम (करोड़ में)	उद्यम द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाला न्यूनतम नियोजन
1	2	3	4
1.	मैसर्स प्लैटिनम टेक्सटाइल लिमिटेड	रु. 208.00	500 व्यक्तियों से अधिक
2.	मैसर्स आकाशगंगा इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	रु. 208.00	500 व्यक्तियों से अधिक

3.	मैसर्स श्रीवल्लभ पित्ती इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	रु. 410.00	500 व्यक्तियों से अधिक
4.	मैसर्स एस.वी.पी. ग्लोबल वैन्चर्स लिमिटेड	रु. 208.00	500 व्यक्तियों से अधिक

"

(ii) खण्ड 2 के अधीन दी गयी सारणी में विद्यमान अभिव्यक्ति "(ii) माल का विनिर्माण करने में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से 50% छूट;" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(ii) माल का विनिर्माण करने में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से 100% छूट;" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०
(डॉ. देवराज)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
12. मैसर्स श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव